आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सभी लाभ मुहैया कराएं : डीजीपी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक हुई। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलने वाले लाभ की समीक्षा की गई। मिश्रा ने सभी एसपी को प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकार द्वारा निर्धारित लाभ देने का आदेश दिया। साथ ही नक्सलियों के विरुद्ध न्यायालय में लंबित कांडों के निष्पादन के लिए स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित कराने को भी कहा गया।

डीजीपी ने आदेश दिया कि प्रत्यर्पित नक्सलियों की व्यक्तिगत समस्यों के समाधान के लिए अपने-अपने जिले से पुलिस अवर निरीक्षक या इसके ऊपर के पुलिस पदाधिकारी स्तर के एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाएं। जिलों के एसपी को डीजीपी ने कहा कि वह आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अन्य सक्रिय नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करें।

'आत्मसमर्पित नक्सलियों को नहीं मिल रहा पूरा लाभ'

रांची। राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य पुलिस की विशेष शाखा ने ओपन जेल हजारीबाग में बंद आत्मसमर्पित नक्सलियों के लंबित लाभ को लेकर सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। अभी हजारीबाग ओपन जेल में 86 आत्मसमर्पित नक्सली बंद हैं। इनमें बोकारो, गढ़वा के 2–2, चाईबासा के 14, चतरा–दुमका के 9–9, गिरिडीह के 5, गुमला, पलामू के 1–1, जमशेदपुर व खूटी के 2–2, लातेहार के 23, लोहरदगा–सरायकेला के 6–6, रांची के 4 नक्सली शामिल हैं।

बोकारो का मामला: नरकंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में कराने का निर्देश

नरकंकाल की डीएनए जांच कोलकाता की लैब में होगी

रांची, विसं। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में बरामद नरकंकाल की डीएनए जांच केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) कोलकाता में कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि 48 घंटे के भीतर नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में युवती के माता-पिता और बरामद कंकाल के सैंपल लिए जाएं तथा निर्धारित समय-सीमा में जांच के लिए भेजे जाएं। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम को लेकर भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में कराया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। सुनवाई के दौरान डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल निदेशक तथा नवगठित एसआईटी की टीम मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ अदालत में उपस्थित थी। कोर्ट ने दो सप्ताह में डीएनए और सभी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी।

प्रार्थी ने जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की : सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बरामद कंकाल की जांच के लिए डीएनए परीक्षण कराने की तैयारी की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि जल्द ही मामले की जांच पूरी होगी। जबकि, प्रार्थी ने कहा कि मामले को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, इसलिए इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। अदालत ने इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए डीएनए सैंपल संग्रहण और जांच की प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराने का निर्देश दिया। इसी के तहत मिलिट्री हॉस्पिटल को नमूने लेकर उन्हें केंद्र सरकार की कोलकाता लैब भेजने का आदेश दिया गया। सुनवाई के अंत में राज्य सरकार ने डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने डीजीपी को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

इस मामले में युवती की मां की ओर से हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई है। बताया गया कि युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है। इस संबंध में बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

48 घंटे में नामकुम मिलिट्री अस्पताल में मां-पिता व बरामद कंकाल के सैंपल लेने के निर्देश

- डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल निदेशक तथा एसआईटी की टीम कोर्ट में हाजिर
- डीजीपी को छोड़ सभी अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर रहना होगा
- युवती 31 जुलाई 2025 से है लापता

डीआईजी, एसपी और डीएसपी को क्यों नहीं किया निलंबित

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 28 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बोकारो एसपी की अपनी कार्रवाई है, इस पर कोर्ट को कुछ नहीं कहना है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि लापरवाही के लिए केवल निचले स्तर के अधिकारियों को ही निलंबित करना काफी नहीं है, डीआईजी, एसपी, डीएसपी को भी निलंबित क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि नीचे के अफसरों को निलंबित करने का मतलब है कि लापरवाही हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद जांच तेज हुई। पुरानी की जगह नई एसआईटी का गठन किया गया और जब कोर्ट ने सीनियर अफसरों को तलब किया, तो दो दिन में ही नरकंकाल मिल गया। इसका मतलब है कि जानबूझ कर इस मामले की जांच में लापरवाही बरती गई।

दुकान से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी

बेखौफ चोर

रांची, प्रमुख संवाददाता। गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड में सीएमपीडीआई गोंदा टाउन के पास नेहा ज्वेलर्स नाम के प्रतिष्ठान से चोरों ने बुधवार को देर रात में नगदी, सोना-चांदी के जेवरत समेत लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरी की घटना की जानकारी संचालक संजय प्रसाद को गुरुवार को हुई।

शटर खोलने के बाद वे जब अंदर पहुंचे तो पाया कि छत पर लगा एस्बेस्टस टूटा हुआ है और सुरक्षा कारणों से छत के नीचे लगे लोहे के एंगल टूटे हुए हैं। यह भी पाया गया कि शो केस में रखा सोना-चांदी के जेवर समेत गल्ले में रखी नगदी समेत अन्य सामान गायब है। दुकानदार के मुताबिक चोरों के हाथ 10 से 12 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लगी है। घटना की जानकारी होने के बाद गोंदा थाना पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में आसपास के इलाके में चोरों की तलाश में छापामारी की, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं मिला। इधर एफएसएल की टीम ने दुकान में जरूरत साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस का दावा है कि चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर मामले की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में सर्राफा कारोबार से जुड़े लोग दुकान पर पहुंचे। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

गोंदा थाना क्षेत्र के सीएमपीडीआई गोंदा टाउन के पास ज्वेलरी दुकान में चोरी होने के बाद शुक्रवार को पहुंचे लोग और पुलिस टीम। • हिन्दुस्तान

- एस्बेस्टस शीट व सुरक्षा ग्रील तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे चोर
- गोंदा थाना पुलिस व एफएसएल टीम पहुंची, चोरों की खोज शुरू

शहर 30s

सड़क दुर्घटना में मौत पर केस दर्ज

रांची। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको के रहने वाले सुजीत टोप्पो की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एतवा उरांव ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र 13 अप्रैल को बाइक से सपोरोम गया था। रात्री में लौटने के दौरान तुपुदाना रिंग रोड में अज्ञात वाहन ने उनके पुत्र को जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गयी।

कार्ड अपग्रेड का झांसा देकर 1.34 लाख उड़ाए

रांची। पुंदाग दीपाटोली निवासी साकिब अहमद से साइबर अपराधियों ने क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का झांसा देकर उनके खाते से 1.34 लाख की ठगी कर ली गई है। साकिब ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। साकिब ने पुलिस को बताया कि आठ अप्रैल को उन्हें एक व्यक्ति ने फोन किया और खुद को आरबीएल बैंक का अधिकारी बताया। कहा कि क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना है।

पॉलिसी के नाम पर युवक से 5.50 लाख ठगे

रांची। साइबर थाना में अशोक नगर निवासी सुदर्शन श्रीवास्तव ने बीमा के नाम पर 5.50 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल कर खुद को एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले लोगों ने उसकी चार पॉलिसियों के प्री–मैच्योर भुगतान का झांसा दिया। आरोपियों ने शुल्क के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लिए।

वृद्धा से चेन छीनने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

रांची। हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी रीता कुमारी से बाइक सवार अपराधियों ने सोने की चेन छीन ली। घटना 14 अप्रैल की है। इस संबंध में यशस्वी ने अरगोड़ा थाना में केस किया है। यशस्वी ने पुलिस को बताया कि उनकी मां रीता मंगलवार की शाम छह बजे सहजानंद चौक के पास टहल रही थी। इसी दौरा एक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे। उनके गले से सोने का चेन छीना और फरार हो गए।

दहेज हत्या में पति समेत चार लोगों को उम्रकैद

रांची। दहेज हत्या में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार (नंबर–2) की अदालत ने गुरुवार को मृतका के पति शीतल साहू उर्फ आदित्य साहू समेत उसकी मां शीला देवी, पिता रामचंद्र साहू और भाई सुजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

एचईसीकर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत, केस दर्ज

रांची। एचईसी के सप्लाईकर्मी अशोक गोप की सड़क हादसे में मौत पर भाई देवेंद्र गोप ने धुर्वा थाना में केस किया है। खूंटी निवासी देवेंद्र ने बताया कि 12 अप्रैल को अशोक निजी कार्य से तुपुदाना गए हुए थे। काफी देर तक जब वह नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू किया गया। पता चला कि उनके भाई को सीठियो रिंग रोड में अज्ञात वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए धक्का मार दिया।

बड़ा घाघरा में मिला युवक का शव, हत्या का केस

रांची। सिमटोली बड़ा घाघरा जेठ जता मैदान के समीप पुल के नीच एक युवक का जख्मी हालत में शव बरामद हुआ। मृतक सुनील मिंज बड़ा घाघरा का रहने वाला था। मामले में मृतक के पिता बबलू मिंज ने चार अज्ञात युवक पर उनके पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। बब्लू ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र मंगलवार से गायब था।

घायल छात्रा की इलाज के दौरान मौत, प्राथमिकी

रांची। विद्या विहार पब्लिक स्कूल की नौवीं की छात्रा घायल सोनी मुंडा की इलाज के दौरान मौत हो गयी। उनका 15 मार्च को रास्ता पार करते समय बस ने जोरदार धक्का मार दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। उनका इलाज तुपुदाना के एक अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान आठ अप्रैल को उसकी मौत हो गयी। मधुकर बस चालक पर केस दर्ज हुआ है।

जीएसटी घोटाले में डिस्चार्ज पर आदेश 28 को

रांची। 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का मनी लाउंड्रिंग करने में आरोपी मास्टर माइंड शिव देवड़ा व उसके बेटे मोहित की डिस्चार्ज याचिका पर गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 28 अप्रैल को सुनाएगी। याचिकाकर्ता ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए जनवरी महीने में याचिका दाखिल की है।

'नेतरहाट स्कूल मामले में 28 अप्रैल व दो मई को हो बैठक'

रांची। हाईकोर्ट ने नेतरहाट स्कूल की व्यवस्था को पूर्ववत बहाल करने और प्रबंधन प्रणाली दुरुस्त करने से जुड़ी जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और स्कूल प्रबंधन समिति को 11 दिसंबर 2025 के आदेश के आलोक में कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रबंधन समिति के सभापति की अस्वस्थता के कारण बैठक नहीं हो सकी थी। इस बीच सभापति अशोक सिन्हा का इस्तीफा स्वीकार कर राजकुमार को नया सभापति बनाया गया है। खंडपीठ ने 28 अप्रैल और 2 मई को प्रबंधन समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की गई है।

आदेश अवहेलना पर डीसी को अवमानना की चेतावनी

रांची/सासाराम। आदेश अवहेलना करने पर सासाराम के जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने रांची के डीसी को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा है कि डीसी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी उदासीनता, अवज्ञा, घोर उपेक्षा और गंभीर लापरवाही के लिए 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय को अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 और 10 के तहत अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा क्यों न करे।

बताया जाता है कि सूरज साह बनाम लीगल मैनेजर द यूनिवर्सल सैंपो जेनरल इंश्योरेंस कं. लि. मामले में कोर्ट का कहना था कि केस रिकॉर्ड की जांच से पता चलता है कि रांची डीसी से कई बार पत्राचार किया गया।

उन्हें कानूनी प्रबंधक द यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. वर्तमान निवासी द्वितीय मंजिल झा निवास होटल युवराज पैलेस के सामने डायवर्सन रोड, डोरंडा की चल और अचल संपत्ति को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-174 के तहत जब्त और नीलाम करने का निर्देश दिया गया था।

हिन्दुस्तान क्लासीफाइड www.livehindustan.com विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7763806712

● व्यापार

● ज्योतिष

मेरा किया जो काटे उसे इनाम
गुरु कमाल जी
घर बैठे सभी समाधान
स्पेशलिस्ट : लवमैरिज, मनचाहा प्यार, गृहक्लेश, शादी, नौकरी, कारोबार में बाधा, पति, पत्नी अनबन, सौतन, दुश्मन छुटकारा, प्यार में धोखा। सभी जगह से निराश फोन करें।
7302525059

● नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति देवी, पति-पवन कुमार जयसवाल, ग्राम-कोनमेंजरा, पो-खिजरी, थाना-ठेठाईटांगर, जिला-सिमडेगा (झारखंड) शपथ पत्र सं.-3382, दिनांक-04.04.2026 के द्वारा ब्यान करती हूं कि मेरा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा प्रीति कुमारी मांझी दर्ज है। जबकि आधार कार्ड सं.-7242 4073 8644 में मेरा नाम प्रीति देवी दर्ज है। यह कि प्रीति देवी व प्रीति कुमारी एक ही महिला का नाम है जो मैं स्वयं हूं। मैं आधार कार्ड में मेरा नाम प्रीति कुमारी (Priti Kumari) दर्ज करवाने के लिए शपथ पत्र दर्ज करवाने के लिए शपथ पत्र बनवायी हूं।

I, NO-151784-R, Rank- POSTD, Bude Oraon S/o-Jatru Oraon, Vill-Hetha-kota, P.O-Guru,P.S-Ratu, Ranchi have changed my daughter's name from Prejisha to Prejisha Khalkho in my Service Book. Aff.no-287/16.04.26

● नाम परिवर्तन

I, TEJINDER Singh, Father of No 19004501H,Hav Harpreet Singh, Vill-Kheri Darshan Singh, Teh- Jagadhri, Dist- Yamuna Nagar (Haryana) have changed my name from Tajinder Singh to Tejinder Singh Vide Affidavit dt. 28.03.2026 sworn before Notary Public, Yamuna Nagar.

I, SUDESHNA Ojha W/o Aditya Chakroborty R/o Deshpriya Club ke pas, Ek Kori Babu Lane, Tharpakhna, Ranchi-834001, Jharkhand declare Vide Affidavit No. 1037, dated 13/04/2026, that before Marriage I was known as Sudeshna Ojha, but after Marriage, I have Changed my name from Sudeshna Ojha to Sudeshna Chakroborty for all Purposes.

I, CHANDA Kumari, W/o Rahul Kumar, R/O- Gram/Mohalla Nadraganj Teli Tola, Ramsagar Road Gaya, PO-Head Post Office Gaya, Dist-Gaya, Bihar-823001. My son's name is wrongly mentioned as ARAV KUMAR in his Aadhaar Number- 5965 8445 7157. His correct name is RANVEER KUMAR for all purposes. Affidavit no. 156 dated 16/04/2026.

मैं संतोष बखला पिता स्व.सुकरा बखला निवासी-ग्राम-बान्दू, पो-बिनगांव, थाना-कर्रा, जिला-खूंटी, झारखंड, शपथ पत्र संख्या 250 दिनांक 13.04.2026 द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी के आधार कार्ड संख्या 8717 9259 6832 में उसका नाम मानी उरांव (Mani Oraon) एवं पति ढुलिया उरांव (Dhuliya Oraon) दर्ज है जो कि गलत है। मेरी पत्नी का वास्तविक नाम Benedicta Bakhla एवं मेरा सही नाम Santosh Bakhla है। जो मेरे विवाह प्रमाण पत्र दिनांक 26.01.1988 Catholic Diocese of Jamshedpur (St. Joseph's Church, Kiriburu) एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील सिटी द्वारा निर्गत सेल पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र संख्या H105017 (Staff no. 851586) में भी दर्ज है और सही है।

● नाम परिवर्तन

I, VISHVANATH Kevat, F/o-no-858789X, Rank-SUB, Shambhu Dayal, Vill-Kuchhechha, Majhgawan Rath, Hamirpur, (UP) have changed my name from Vishwanath, DOB-07.01.1955 to Vishvanath Kevat, DOB-01.01.1962 in my son's Service Record. Aff No-1307, Dated-01.07.25

I, GANGI Oraoin, W/o Late Gandur Kujur, R/o Vill Sardulla, P.O Sangor, PS-Karra, Dist- Khunti, Jharkhand. Vide affidavit No- 128, dt. 15.04.26 declare that my correct name is Gangi Oraoin and correct D.O.B is 01.01.1958 in place of wrongly entered in my son's (Sumit Kujur) service record as Gangi Kujur and D.O.B is 04.02.1964.

I, PRAMOD Kumar is correct name called Pramod Kumar Singh, R/o Bharti Compound, South Kusai, Doranda, Ranchi-834002, Jharkhand vide Affidavit No. 0386, dated 15.03.2026, declared that both name are same person. Now, I will be known as Pramod Kumar for all purpose

मैं, बसीया देवी पति स्व.मेघन महतो निवासी - ग्राम - किरीगढ़ा, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग, झारखंड कार्यपालक दंडाधिकारी हजारीबाग समक्ष घोषणा करती हूं कि Baso Devi (बासो देवी) एवं Basiya Devi (बसिया देवी). दोनों नाम एक ही महिला का है जो मैं स्वयं हूं। और ये दोनों नाम मेरा ही है। दिनांक 07.02.2026

I, AMAR Deep Bara, Army No. 4285772P, Rank-Hav, S/o late Cyprian Bara, R/O-Vill-Pokher Toli, P.O.+ PS - Doranda, Dist.- Ranchi, Jharkhand-834002. In my Service book, my wife's name is written as Arpan Khalkho and her date of birth as 13.01.1988, which are wrong. Correct name of my wife is Arpan Bara and her correct date of birth is 13.01.1989. Vide Affidavit No. 1077, dated 15.04.2026.

SYMBIOSIS PUBLIC SCHOOL
BUNDU, RANCHI (JHARKHAND)
(AFFILIATED TO C.B.S.E., NEW DELHI, Upto 10+2)

ADMISSION OPEN 2026-2027
FOR CLASS PRE-NURSERY TO IX
FOR CLASS XI (SCIENCE AND COMMERCE)

Achieve Your Future With Us

- Modern and well equipped laboratories and Library.
- The hostel provides homely care and excellent food at a nominal fee.
- Scholarship available for meritorious students.
- Bus Facility for children to travel from Ranchi, Bundu local and nearby areas (Arki, Sarajamdih, Dewri, Tamar, Rahe, Sonahatu, Jamudag and Taimara, Jojodih, Bhuiyandih, Rangamati, Pundidiri, Purna Nagar, Bijaygiri.

For Admission
CALL NOW! +91 9835108162 | +91 9939339329
Near Toll Gate, Bundu, PIN - 835204
symbiosisbundu@gmail.com | www.symbiosispublicschool.com

कार्यालय
(जिला खेल शाखा, सिमडेगा)
ई- मेल- sportofficesimdega@gmail.com

आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, झारखण्ड राँची के पत्रांक–13, दिनांक– 07.04.2026 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में निदेशानुसार सिमडेगा जिला अंतर्गत ASMITA CITY LEAGUE 2026 का आयोजन दिनांक– 24.04.2026 एवं 30.04.2026 को किया जाना निर्धारित है। अस्मिता लीग का उद्देश्य– महिलाओं को प्रेरित कर खेल जगत में भागीदारी सुनिश्चित करना है एवं विशेष रूप से महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी भागीदारी बढ़े और उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्राप्त हो सके। उक्त जिला स्तरीय ASMITA CITY LEAGUE प्रतियोगिता की विवरणी निम्नवत् हैः–

क0	खेल विघा का नाम	स्थान	आयोजन हेतु तिथि	पंजीकरण तिथि	वर्ग	समन्वयक
1	Hockey	अंर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम, एस0 एस0 गर्ल्स	29.04.2026 को प्रातः 08:00 बजे।	28.04.2026 संध्या 4:00 बजे तक	Senior एवं Ju	
2	Bruce	अंर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम	29.04.2026 को प्रातः 08:00 बजे।	28.04.2026 संध्या 4:00 बजे तक		
3	Athletics	अल्बर्टएक्का स्टेडियम	29.04.2026 को प्रातः 08:00 बजे।	28.04.2026 संध्या 4:00 बजे तक		
4	Badminton	अंर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम	29.04.2026 को प्रातः 08:00 बजे।	28.04.2026 संध्या 4:00 बजे तक		
5	volleyball	अंर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम	30.04.2026 को प्रातः 08:00 बजे।	28.04.2026 संध्या 4:00 बजे तक		

इच्छुक बालिका/महिला उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जिला खेल कार्यालय, सिमडेगा में अपना आवेदन जमा/पंजीकरण करा सकते है एवं विस्तृत जानकारी हेतु जिला खेल समन्वयक, सिमडेगा मो0 सं0–9939316509/ से संपर्क कर सकते है।

जिला खेल पदाधिकारी
सिमडेगा

PR 377585 Simdega (26-27)_D

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
बैंक ऑफ बड़ौदा, रातु रोड शाखाः
मालवा भवन, रातु रोड, रांची, झारखण्ड – 834005
अनुबंध-सी

चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ''अनुबंध–IV–ए (अधिनियम 6(2) एवं 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 6 (2) एवं 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूमिकरण और पूर्णगठन एवं सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना. आम लोगों को तथा विशेष रूप से भाग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु ''जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर'' बेचा जायेगा। ऋणी / यों / बंधककर्त्ता/ओं / जमानतदार/रों / सुरक्षित सम्पत्ति/यौं / बकायों / सुरक्षित मूल्य /ई–नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं / गारंटर/ बंधककर्ताओं का नाम और पता	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	कुल बकाया / ई–नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय / बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय / ईएमडी जमा खाता संख्या आईएफएससी कोड बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा
1.	ऋणी: श्री मो मुबारक सुपुत्र मोहम्मद बसीर पता: कलाल टोली, मेन रोड, पोस्ट – राँची, थाना – राँची, राँची – 834001 सह–ऋणी: सज्जाद हवारी सुपुत्र बसीर हवारी पता: अंजुमन कॉलोनी, कोंका काला टोली, लोअर बाज़ार, राँची – 834001	XUV700 AX7 DSL MT 7 SEATER, MFG YEAR - 2025	Rs. 21,08,361.05 (रूपये इक्कीस लाख आठ हजार तीन सौ इकसठ एवं पैसे पाँच मात्र) / दिनांक 02.05.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक / 01.05.2026 को शाम 5:00 बजे तक	Rs. 15,30,000.00 / Rs. 1,53,000.00 / Rs. 5,000.00	भौतिक कब्जा / दिनांक 01.05.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक / 29170015181219 BARBORATURO रातु रोड शाखा
2.	ऋणी: श्री विवेक कुमार सुपुत्र उमेश प्रसाद पता: होल्डिंग संख्या 16, चटकपुर, शांति नगर, पंड्रा, राँची – 834005	Eicher Pro 6048 CWC BSVI	Rs. 45,38,825.47 (रूपये पैंतालीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ पच्चीस एवं पैसे सैंतालीस मात्र) / दिनांक 02.05.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक / 01.05.2026 को शाम 5:00 बजे तक	Rs. 24,93,000.00 / Rs. 2,49,300.00 / Rs. 5,000.00	भौतिक कब्जा / दिनांक 01.05.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक / 29170015181219 BARBORATURO रातु रोड शाखा

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction एवं https://baanknet.com पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल सं 7542032094 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 16.04.2026
स्थान : राँची
नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह0/– प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा